सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2022/349 दर्ज तिथिः– 03.11.2022

1. गौरी सहाय पुत्र श्री देवा राम उम्र करीब 61 साल जाति मीणा सिलिबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी जिला–अलवर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री नरेन्द्र शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 681/1.06 है0 वाके ग्राम सिलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060 साबिक खसरा संख्या–726 रकबा 4 बीघा, 04 बिस्वा से कायम किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2039 वाके ग्राम सिलीबावडी तहसील थानागाजी में साबिक खसरा संख्या–726 रकबा 4 बीघा, 04 बिस्वा की खातेदारी आराजी पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गौरी सहाय पुत्र देवा राम अंकित था। परन्तु इसके बाद जमाबंदी संवत् 2044 के बाद राजस्व रिकॉर्ड में गौरी सहाय के स्थान पर गोठया दत्तक दत्तक पुत्र देवा अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में गौरी सहाय दर्ज है। जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी का नाम सही अंकित नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड में गोठया दत्तक के स्थान पर गौरी सहाय दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:49 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को

मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम सिलीबावडी तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
गोठया दत्तक पुत्र देवा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा.देह खातेदार	49	681	1.06 है0

4. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम सिलीबावडी का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा नम्बर हाल	रकबा	साबिक	रकबा
681	1.06 है0	726	04 बीघा 04 बिस्वा

5. प्रकरण में जमाबन्दी संवत् 2044 वाके ग्राम सिलीबावडी का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	साबिक खसरा संख्या	रकबा
गोठया पि. मु. देवा कोम मीना साकिन सीलीबावडी खातेदार	726	4 बीघा 4 बिस्वा

6. प्रकरण में जमाबन्दी संवत् 2039 वाके ग्राम सिलीबावडी का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	साबिक आराजी खसरा संख्या	रकबा
गोरया पि. मु. देवा कोम मीना साकिन सीलीबावडी खातेदार	726	4 बीघा 4 बिस्वा

7. प्रकरण में जमाबन्दी संवत् 2028 वाके ग्राम सिलीबावडी का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	साबिक आराजी खसरा संख्या	रकबा
गोरया पि. मु. देवा कोम मीना साकिन सीलीबावडी खातेदार	726	4 बीघा 4 बिस्वा

8. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में गौरी सहाय अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान–पत्र	गौरी सहाय
आधार कार्ड	गौरी सहाय

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 19:45:49 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

> *मौके पर गौरी सहाय पुत्र देवाराम मौजूद मिले। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि गौरी सहाय का बोलता नाम गोठिया है लेकिन सभी दस्तावेजों में गौरीसहाय का नाम गौरीसहाय दर्ज है। गौरीसहाय व गोठिया एक ही व्यक्ति है।*

10. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि हाल जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी में प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी प्रार्थी की आराजी का विवरण बिन्दु संख्या–3 के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में गौरी सहाय अंकित है जो बिंदू संख्या–8 में वर्णित है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2039, मिसल जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत 2028 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोरया अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम साबिक राजस्व रिकॉर्ड में गोरया पुत्र देवा जाति मीना अंकित थी। परन्तु बाद के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोठया पुत्र देवा तथा जाति मीणा कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थी का नाम तथा जाति मुताबिक साबिक रिकॉर्ड सही दर्ज नही की गई। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम तथा जाति संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

> ***प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट व साबिक रिकॉड एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम गोठया दत्तक को कलमजन कर उसके स्थान पर गौरी सहाय तथा जाति मीना का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।***

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:49 IST
Reason: SelfAttested